न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 15/2015 तारीख रजू:– 19.02.2015

पीठासीन अधिकारी –सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ————————————————————प्रार्थी/वादी

बनाम

1. रामहेत पुत्र सुक्की जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर –मृतक

1/1. परसो पुत्र रामहेत जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

1/2. रामधन पुत्र रामहेत जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर–मृतक

1/2/1. रामपति बेबा रामधन जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

1/2/2. दामोदर पुत्र रामधन जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

1/2/3. विष्णु पुत्र रामधन जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

1/2/4. महेश पुत्र रामधन जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

1/2/5. जितेश पुत्र रामधन जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

2. कजोडया पुत्र सुक्की जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर– मृतक

2/1. सियाराम पुत्र कजोडया जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

2/2. भौमा पुत्र कजोडया जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

3. मीठया पुत्र गैंदा जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर–मृतक

3/1. तेजराम पुत्र मीठया जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

3/2. अनवर पुत्र मीठया जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

3/3. सुतानन्द पुत्र मीठया जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

3/4. हरबल पुत्र मीठया जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

3/5. रामबल पुत्र मीठया जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

Signature Not Verified

3/6. ओमप्रकाश पुत्र मीठया जाति [illegible] निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:43 IST
Reason: SelfAttested

4. जौहरी पुत्र गैंदा जाति मीना निवासी [illegible]कापुरा कोटराढहर लाऔलाद फौत

5. गुटेरी पुत्र गैंदा जाति [illegible]कापुरा कोटराढहर ला[illegible] फौत

6. समय पुत्र मिश्रया जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

7. छोटी बेबा मिश्रया जाति मीना निवासी रूंधकापुरा कोटराढहर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान -------- प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 175 राज0काश्त0अधिनियम

उपस्थित :— 1. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन
2. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट अप्रार्थी सं01 ता 3

निर्णय

दिंनाक :— 26.02.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार (भूमि धारक)तहसील हिण्डौन ने विरूद्ध प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण दावा/प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत पेश कर मद नं01 वाद पत्र में दर्ज किया है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 261 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 237 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा स्थित ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन का लैण्ड होल्डर है।

मद नं02 में दर्ज किया है कि उक्त रकबा श्री विपक्षीगण की खातेदारी का है, जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।

मद नं03 में दर्ज किया है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य खातेदार ने प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में वर्णित खातेदारी की जमीन विपक्षी सं02 को जरिये बयनामा, बदलकर अकृषि कर दी है व करने का इरादा बना लिया है जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42,43,46(ए) के अन्तर्गत अवैध है और ऐसे हस्तातंरण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

मद नं04 में दर्ज किया है कि विपक्षीगण, अवैध हस्तातंरण होने के कारण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 175/177 के तहत बेदखल करने योग्य है।

मद नं05 में दर्ज किया है कि विपक्षीगण ने उक्त मद नं01 में वर्णित कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लेना शुरू कर दिया है।

मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र थर्ड शिडूल के सिरियल नं0 66 के अनुसार पेश है।

मद नं07 में दर्ज किया है कि इसमें मयाद का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहत धारा 175/177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पेश कर प्रार्थना है कि अतिक्रमी विपक्षी को बेदखल कराया जाकर कब्जा प्रार्थीगण कराया जावे व खर्चा प्रति[illegible] प्रार्थी को दिलाया जाकर प्रार्थना पत्र का निर्णय प्रार्थी[illegible] में किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

ने बकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थीगण की ओर से पूर्व में जबाव संशोधित प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि संशोधित वाद पत्र का मद नं01 में मृतकों के वारिसान गलत दर्ज किए हैं तथा मृतकों के देहान्त की तारीख दर्ज नहीं की है तथा प्रार्थना पत्र कायम मुकाम भी 90 दिन के अन्दर पेश नहीं किया गया है। इसलिए दावा कानूनन स्वतः अवैट हो चुका है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि संशोधित वाद पत्र अन्दर मियाद पेश नहीं होने के कारण कानूनन खारिज होने योग्य है तथा विवादित आराजीयात के काफी हिस्से पर मौके पर सैंकडों वर्षों से आबादी हो रही है, गांव वालों के मकानात आदि बने हुए हैं तथा घनी आबादी हो रही है, सडक व आम रास्ता बने हुए हैं, कुआ इत्यादि भी बने हुए हैं। इस प्रकार उक्त भूमि आबादी में कनवर्ट होने योग्य है। कब्जा वापिसी की भी म्याद निकल चुकी है। इसलिए संशोधन वाद पत्र कानूनन खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि संशोधन वाद पत्र के मद नं02 में नवीन खसरा नम्बर मौके के अनुसार सही नहीं बना है। विवादित आराजीयात को प्रतिवादीगण खातेदार टीनेन्ट हैं। विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कदीमी काबिज व दखील हैं और सरकारी लगान भी देते हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को कानूनन बेदखल नहीं किया जा सकता है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात का कोई फ्रेगमेन्टेशन नहीं हुआ है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वाद पत्र खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि संशोधित वाद पत्र कानूनन सत्यापित नहीं है। इसलिए कानूनन खारिज होने योग्य है।

अतः जबाव संशोधित वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि दावा खारिज फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें तथा विवादित आराजीयात को आबादी में कनवर्ट करने के लिए पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर करौली को वास्ते मंजूरी भिजवाए जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी/वादी की ओर से दस्तावेजी सबूत में नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सं0 2060 से 63, पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 28.09.1987, नकल जमाबन्दी सं0 2036 से 39– किता 2, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2041–44 किता–2, तहसीलदार हिण्डौन का पत्रांक एलआर /2016/994 दिनांक 19.10.2016 मय असल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.10.2016,पेश किये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:43 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में दौराने बहस नकल जमाबन्दी [illegible] 2072–75 किता 4 पेश की हैं तथा जुबानी सहादत में [illegible] पुत्र [illegible]ओडया जाति मीना निवासी रूंध का पुरा, समयसिंह पुत्र मिश्रा जाति मीना निवासी रूंध का पुरा, भरतलाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

काडया जाति मीना निवासी रूंध का पुरा, हरबल पुत्र मीठया जाति मीना निवासी कोटराढहर के शपथ पत्र पेश किये हैं।

तहसीलदार हिण्डौन एवं वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। तहसीलदार हिण्डौन एवं वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

नकल जमाबन्दी सं0 2036 से 39 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 261 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन की खातेदारी जौहरी,गुटेरी,मीठया पि0 गैंदया जाति मीना निवासी रूंध का पुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 627 खाता जौहरी के बजाय गुटेरी,मीठया पि0 गैंदया मीना के नाम हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2036 से 39 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 117 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा, 237/1/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामहेत कजोडया पि0 सुक्की जाति मीना निवासी रूंद का पुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान से निम्नानुसार नवीन खसरा नम्बरान कायम किये गये हैं।

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नं0	रकबा(हैक्टेयर में)
261	5 बीघा 3 बिस्वा	183	1.59
237/1 मिन	4 बीघा 2 बिस्वा	185	0.21
237/1/1 मिन		186	0.21
237/1/1 मिन	4 बीघा 2 बिस्वा	307	0.13
237/1/1 मिन		308	0.10
237/1/1 मिन		311	0.45

नकल जमाबन्दी सं0 2060–63 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 185 रकबा 0.21है0, 308 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन की खातेदारी टूण्डू कलुवा भरतू पि0 काडया व इतवाई बेबा काडया जाति मीना रूध का पुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2060–63 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 183 रकबा 1.59 है0 वाके ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन की खातेदारी तेजराम अनवर सुतानन्द रामवल हरवल ओमप्रकाश पि0 मीठया जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2060–63 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 311 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामधन, परसो पि0 रामहेत 2/3 समस्त पुत्र मिश्रया व मु0 छोटी बेबा मिश्रया हि01/3 जाति मीना निवासी रूद का पुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

नकल जमाबन्दी सं0 2060–63 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 186 रकबा 0.21 है0, 307 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन की खातेदारी सियाराम भोमा पि0 कजोडया मीना सा0 रूद का पुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल खसरा गिरदावरी सं0 2041–44 किता–2 के अनुसार विवादित आराजीयात में फसल काश्त होना दर्ज रिकार्ड है।

पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 28.09.1987 के अनुसार पटवारी हल्का ने दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा ग्राम कोटराढहर में रामहेत कजोडया पि0 सुक्की जाति मीना निवासी रूद का पुरा के नाम खातेदारी है, खसरा नम्बर 237 के मौके अनुसार तीन भाग में विभक्त हो गया है, खसरा नम्बर 237/1 सडक पास , खसरा नं0 261 जौहरी गुटेरी मीठया मीना निवासी रूद का पुरा से आपसी सहमति पर तब्दील अन्य भूमि का कर लिया है तथा दूसरे भाग में सडक निकल गई तथा खसरा नम्बर 237/1/3 नम्बर सडक दूसरे भाग में है इस प्रकार इस नम्बर का फ्रेगमेन्ट तथा बिना मंजूरी भूमि आपसी सहमति से बदली है।

उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का पालनपुर द्वारा दिनांक 18.10.2016 को रिपोर्ट पेश की है, फर्द मौका में अंकित किया है कि दिनांक 18.10.2016 को ग्राम कोटराढहर में उनवान सरकार बनाम रामहेत की मौका स्थिति देखने पहुँचा। रिकार्ड में जमाबन्दी सं0 2072–75 ग्राम कोटराढहर में खसरा नम्बर 183 रकबा 1.58 है0 में तेजराम,अनवर सुतानन्द रामवल हरवल ओमप्रकाश पि0 मीठया जाति मीना के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 185,308 रकबा 0.30 है0 में टूण्डू कलुवा भरतू पि0 काडया इतबाई बेबा काडया जाति मीना सा0 रूध का पुरा , खसरा नम्बर 186, 307 रकबा 0.34 है0 में सियाराम भौमा पि0 कजोडया जाति मीना रूद का पुरा, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.45 है0 में रामधन, परसो पि0 रामहेत 2/3 समय पुत्र मिश्रया व मु0 छोटी बेबा मिश्रया हि01/3 जाति मीना निवासी रूद का पुरा के नाम दर्ज है। मौके पर खसरा नम्बर 183 रकबा 1.58 है0 में तेजराम,अनवर सुतानन्द रामवल हरवल ओमप्रकाश पि0 मीठया जाति मीना का मौके पर कब्जा है। खसरा नम्बर 186 रकबा 0.21 है0 में मौके पर सियाराम भौमा पि0 कजोडया काश्त करते हैं। खसरा नम्बर 185 रकबा 0.21 है0 में कलुवा भरतू पि0 काडया काश्त करते हैं। खसरा नम्बर 311 रकबा 0.45 है0 में समय पुत्र मिश्रया काश्त करते हैं। खसरा नम्बर 308 रकबा 0.10 है0 कलुवा भरतू पुत्र काडया काश्त करते हैं। खसरा नम्बर 307 रकबा 0.13 है0 में सियाराम भौमा पि0 कजोडया का कब्जा है। मौके पर मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी कर [illegible] को पढकर सुनाया गया।

उपरोक्त विवेचन के [illegible] स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात साबिक [illegible] 261 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 237 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा स्थित ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन के दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 183 रकबा 1.59 है0,185 रकबा 0.21 है0, 186 रकबा 0.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

है0, 307 रकबा 0.13 है0, 308 रकबा 0.10 है0, 311 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन कायम किये गये हैं तथा इन नम्बरों की जिन व्यक्तियों के नाम खातेदारी है उन्हीं व्यक्तियों का मौके पर कब्जा काश्त है, जो पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.10.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 28.09.1987 के अनुसार पटवारी हल्का ने दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा ग्राम कोटराढहर में रामहेत कजोडया पि0 सुक्की जाति मीना निवासी रूद का पुरा के नाम खातेदारी है, खसरा नम्बर 237 के मौके अनुसार तीन भाग में विभक्त हो गया है, खसरा नम्बर 237/1 सडक पास , खसरा नं0 261 जौहरी गुटेरी मीठया मीना निवासी रूद का पुरा से आपसी सहमति पर तब्दील अन्य भूमि का कर लिया है तथा दूसरे भाग में सडक निकल गई तथा खसरा नम्बर 237/1/3 नम्बर सडक दूसरे भाग में है इस प्रकार इस नम्बर का फेगमेन्ट तथा बिना मंजूरी भूमि आपसी सहमति से बदली है तथ्य साबित नहीं होते हैं। उक्त विवादित आराजीयात में फेगमेन्ट होने का कोई तथ्य सामने नहीं आया है। ऐसे हालात में प्रार्थी/ वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175/177 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः दावा / प्रार्थना पत्र वादी/प्रार्थी खिलाफ प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 175/ 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 आराजी साबिक खसरा नम्बर 261 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 237 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा स्थित ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन के नवीन खसरा नम्बर 183 रकबा 1.59 है0,185 रकबा 0.21 है0, 186 रकबा 0.21 है0, 307 रकबा 0.13 है0, 308 रकबा 0.10 है0, 311 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.02.21
सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner